बिहार सरकार

पशुपालन निदेशालय, बिहार

ई-मेल - dirahd-bih@nic.in वेबसाइट - ahd.bih.nic.in दूरभाष /फैक्स - 0612-2215962/2230942

पत्रांक - 7 स्था0 (2) अनुक0–19/2017 .... दिनांक -

आदेश

बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञाप संख्या–3/सी 2–2067/90 का0 13293 दिनांक–05.10.1991 एवं अनुवर्ती संगत प्रावधानों के आलोक में जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, शेखपुरा के ज्ञापांक–281, दिनांक–15.06.2017 से प्राप्त जिला अनुकम्पा समिति, शेखपुरा की बैठक दिनांक–15.06.2017 की कार्यवाही के कंडिका–01 में अंकित अनुशंसा (जिसकी सम्पुष्टि जिलाधिकारी, शेखपुरा के पत्रांक–567 दिनांक–18.11.2017 से प्राप्त है) एवं क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, भागलपुर क्षेत्र, भागलपुर के पत्र संख्या– 330 दिनांक–11.07.2017 से प्राप्त कागजातों के आलोक में **श्री रौशन कुमार** (जन्म तिथि – 15.12.1998) पुत्र **स्व0 सियाराम प्रसाद, भूतपूर्व लिपिक, अवर प्रमंडल पशुपालन कार्यालय, शेखपुरा**, वर्तमान पता–ग्राम–बंगालीपर, पो0–शेखपुरा, थाना– शेखपुरा, जिला–शेखपुरा को **वर्ग–03 (तीन) निम्न वर्गीय लिपिक** के पद पर वेतनमान रू0 5200–20200/–, ग्रेड वेतन 1900/– (अपुनरीक्षित) लेबल (2) 19900/– मूलवेतन (पुनरीक्षित) तथा समय–समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अनुमान्य अन्य भत्ते के साथ पूर्णतः अस्थायी रूप से अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर **कार्यालय जिला पशुपालन पदाधिकारी, नालन्दा** के अन्तर्गत में **वर्ग–03 (तीन) लिपिक** के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की शर्त्तें निम्नवत हैं:–

2– अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति पर मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के समुचित भरण–पोषण का पूर्ण दायित्व रहेगा। **जिला पशुपालन पदाधिकारी, नालन्दा** योगदान स्वीकृत करने के पूर्व आवेदक **श्री रौशन कुमार** से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लेगें कि ''*वे भविष्य में मृतक स्व0 सियाराम प्रसाद, भूतपूर्व लिपिक के आश्रित परिवार के पूर्ण भरण–पोषण के लिए पूर्णतः जिम्मेवार होंगे तथा इस संबंध में आश्रित परिवार के किसी अन्य सदस्य से शिकायत प्राप्त होने पर इनकी नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा रद्द कर दी जायेगी। जिसमें इन्हें कोई आपति नहीं होगी।*'' शपथ पत्र की एक प्रति निदेशालय में भी उपलब्ध करायेगें।

3– नियुक्ति के पश्चात् अगर किसी भी समय उनकी शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र अथवा किसी अन्य प्रमाण पत्र के संबंध में फर्जी या जालसाजी संज्ञान में आती है, तो उक्त कर्मी को बिना कारण पृच्छा के सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया जायेगा तथा उन पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।

4– योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक–सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

5– नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

6– उप सचिव, वित्त विभाग के पत्रांक–1964 दिनांक–31.08.05 के अनुसार दिनांक–01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्ति राज्यकर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

7– अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को सरकारी सेवा के संदर्भ में संगत प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत सरकारी निदेशों/नियमावली का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

8— योगदान के समय इस बात का शपथ—पत्र देना होगा कि पूर्व में किसी अपराध के आरोप में उन्हें किसी प्रकार का दंड नहीं हुआ है तथा वर्तमान में किसी प्रकार का आपराधिक मामला उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

9— योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी द्वारा **श्री रौशन कुमार** से उपरोक्त सभी शर्त्तों को स्वीकार करने संबंधी घोषणा—पत्र/वांछित कागजात प्राप्त करने तथा व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा। साथ ही, योगदान स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी वांछित कागजातों की मूल प्रति ससमय निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

10— योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी प्रथम दृष्टया नियुक्ति पत्र से खुद संतुष्ट हो जाने पर कर्मचारी का योगदान 3 (तीन) माह के लिए औपबंधिक रूप से स्वीकार करेगें और नियुक्ति प्राधिकार से नियुक्ति पत्र की संपुष्टि करा लेंगे। यदि 3 (तीन) माह के अंदर यह संपुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नव नियुक्त कर्मचारी की वेतन निकासी तब तक नहीं की जाएगी जब तक की नियुक्ति की संपुष्टि नहीं हो जाती है।

11— योगदान के समय किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाये।

ह0/—

(राधेश्याम साह)

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांकः— 7 स्था0 (2) अनुक0 —19/2017 7304 (नि) पटना—15, दिनांक 21/12/2017

निबंधित प्रतिलिपिः— श्री रौशन कुमार, पुत्र स्व0 सियाराम प्रसाद, भूतपूर्व लिपिक, अवर प्रमंडल पशुपालन कार्यालय, शेखपुरा, वर्तमान पता—ग्राम —बंगालीपर, पो0—शेखपुरा, थाना— शेखपुरा, जिला—शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के एक माह के अंदर वांछित कागजात/शपथ पत्र के साथ कार्यालय जिला पशुपालन पदाधिकारी, नालन्दा में योगदान देना सुनिश्चित करें।

निबंधित प्रतिलिपिः— कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित प्रतिलिपिः— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या—2002, दिनांक—01.04.2003 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित प्रतिलिपिः— क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, भागलपुर क्षेत्र, भागलपुर के पत्र संख्या— 330 दिनांक—11.07.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

निबंधित प्रतिलिपिः— जिला पशुपालन पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित प्रतिलिपिः— जिलाधिकारी, शेखपुरा के ज्ञापांक—281, दिनांक—15.06.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।